न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 66/2025

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 बालाराम पुत्र किस्तुरराम 2 भंवरलाल पुत्र किस्तुरराम 3 मदनलाल पुत्र किस्तुरराम जाति जाट निवासी देशवाल तहसील मेडता जिला नागौर।		1 सरकार जरिये पटवारी हल्का ओलादन मेडता जिला नागौर। 2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मेडता जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री भंवरलाल पोटलिया अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स की ओर से।

दिनांकः 21.05.2026

निर्णय

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मेडता द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 22/2025 सरकार बनाम बालाराम में निर्णय दिनांक 04.12.2025 के तहत मौजा देशवाल की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.12.2025 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 30.12.2025 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अपीलांट्स द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 22/25 सरकार बनाम बालाराम की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–निर्णय जेर अपील खिलाफ कानून तथ्यो, परिस्थितियो राजस्व रेकर्ड, साक्ष्य व रेकर्ड के विपरीत जाकर प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तो की अवहेलना कर पारित किया गया होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(II)– अपीलांट को दिनांक 13.11.2025 को तहसील कार्यालय में बुलाया एवं प्रार्थी के चार हॉल जो खसरा नम्बर 1178/783 वाके सरहद मौजा देशवाल में प्रार्थी के खेत में बने हुए हैं, के संबंध में नियमन करने का कहा व अंगूष्ठ निशान करवाया एवं आगे अपीलांट को किसी प्रकार की पेशी नही दी एवं दिनांक 04.12.2025 को अपीलांट के खिलाफ एकतरफा में ही बिना साक्ष्य सबूत व जवाबदेही का अवसर दिये बिना ही निर्णय जेर अपील पारित कर दिया। दिनांक 13.11.2025 की आदेशिका भी अपीलांट की उपस्थिति में नही लिखी गई। इस प्रकार अपीलांट को निर्णय जेर अपील पारित करने से पूर्व जवाब हेतु व साक्ष्य सबूत हेतु कोई अवसर दिये बिना ही एकतरफा में पारित निर्णय होने से सामान्य न्याय के सिद्धान्त के विपरीत हैं, जिससे निर्णय जेर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–आदेशिका दिनांक 13.11.2025 के बाद दिनांक 04.12.2025 की पेशी देना अंकित हैं, लेकिन दिनांक 04.12.2025 की आदेशिका में हम अपीलांट के द्वारा जवाबदेही बंद करना व साक्ष्य सबूत पेश नही करने का कोई उल्लेख नही है। मात्र यह लिख दिया कि पत्रावली पेश हुई, प्रकरण में निर्णय अलग से लिखाया व सुनाया गया। जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलांट को किसी भी प्रकार से जवाबदेही साक्ष्य सबूत का अवसर नही दिया गया।

{2}(IV)–निर्णय जेर अपील में तहसीलदार मेडता ने यह उल्लेख किया है कि गैर सायल को पर्याप्त समय दिये जाने के उपरांत भी अपने पक्ष में कोई लिखित, मौखिक साक्ष्य पेश नही किया, जबकि आदेशिका से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया दिनांक 04.12.2025 में ही निर्णय जेर अपील एकतरफा में पारित कर दिया और मिथ्या विवेचन लिखित व मौखिक साक्ष्य सबूत पेश करने के पर्याप्त अवसर देने का उल्लेख कर दिया। जो पत्रावली की आदेशिका से विरोधाभाषी हैं।

{2}(V)–गैर मुमकिन सडक खसरा नम्बर 794 के पूर्व की तरफ हम अपीलांट के कब्जे काश्त व खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1178/783 हैं, अपीलांट के खेत में सडक पर चार हॉल चाराफूस व अनाज के स्टोर के लिए आज से 15 वर्ष पूर्व के बने हुए हैं, जो पक्का निर्माण है एवं अपीलांट के पक्के निर्माण में होल के सामने करीब छः माह पूर्व डामर की सडक बनी थी, जो बिना नाप चौप बनाई गई, पिछले 15 साल में मुझ अपीलांट के पक्के निर्माण के संबंध में कभी भी पटवारी हल्का अथवा किसी भी व्यक्ति ने कोई

अपर कलक्टर, नागौर

शिकायत नही की, न ही तहसीलदार ने किसी भी तरह की धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की, बिना नाप चौप के डामर की सडक बन जाने से एवं मुझ अपीलांट के पक्के निर्माण को ध्वस्त करने के आशय से कार्यवाही कर सम्पूर्ण पक्के निर्माण जो मुझ अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 1178/783 में बने हुए हैं, को नष्ट करना चाहते है। जो कतई न्यायोचित नही है। जिससे भी निर्णय जेर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VI)–मुझ अपीलांट का खेत सडक से पूर्वी तरफ है एवं सडक से पश्चिम की तरफ खसरा नम्बर 851 व 852 के खातेदार चूनाराम वगैराह के खातेदारी का खेत हैं, उक्त खातेदार ने भी अपीलांट के पक्के निर्माण को जायज बताया एवं सडक चौडी करने के लिए अपनी बाड को हटाकर सड़क चौड़ी करने को तैयार हैं, फिर भी हठधर्मिता से तहसीलदार मेडता अपीलांट के कब्जे काश्त व खातेदारी के खेत में बने हुए पक्के निर्माण को ध्वस्त करना चाहते है। जिससे अपीलांट को अपार क्षति होगी।

{2}(VII)–अपीलांट के कब्जे काश्त व खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1178/783 के पश्चिम में डामर की सडक है एवं उससे आगे पश्चिम की तरफ खसरा नम्बर 851 व 852 के खेत हैं, अपीलांट के खेत व खसरा नम्बर 851 व 852 के बीच सडक राजस्व रिकार्ड नक्शे में सीधी हैं एवं मौके पर बने गूगल मैप में सड़क का निर्माण गोलाई देकर मुझ अपीलांट के कब्जे काश्त एवं खातेदारी के खेत में किया गया है एवं उस सड़क के चिपते ही अपीलांट के चारो पुराने हॉल बने हुए हैं। गूगल मैप व नक्शा शीट के मिलान से स्पष्ट है कि सीधी सडक को गोलाई देकर अपीलांट के खेत में सडक निकाली गई हैं, जबकि वास्तविकता तो यह है कि मौके पर सम्पूर्ण सडक अपीलांट के खेत में ही बनी हुई है एवं चारो हॉल बने हुए हैं। लेकिन पटवारी हल्का ने बिना फिक्स बिन्दू से नाप चौप किये मात्र अंदाज से ही तहसीलदार मेडता के समक्ष मिथ्या रिपोर्ट पेश की हैं, जो आधारहीन होने से निर्णय जेर अपील अपास्त किये जाने योग्य हैं। फिर भी अपीलांट के पक्के निर्माण को बिना किसी आधार के तोडने का आदेश पारित किया हैं, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VIII)–मात्र पटवारी हल्का की झुठी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय जेर अपील पारित किया गया हैं, जिसमे पटवारी हल्का के नोटिस के समर्थन में पटवारी हल्का के बयान लिये जाकर अपीलांट को जिरह का मौका दिया जाना चाहिए था, जो नही दिया गया है। जिससे इस कानूनी बिन्दू को नजरअंदाज कर एकतरफा में निर्णय पारित करने में तहसीलदार मेडता ने कानूनी भूल की हैं, जिससे भी निर्णय जेर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट्स द्वारा मौजा देशवाल में स्थित सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट्स को नोटिस जारी किये गये। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मेडता द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 22/2025 सरकार बनाम बालाराम में निर्णय दिनांक 04.12.2025 के तहत मौजा देशवाल की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके देशवाल के खसरा नंबर 794 गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलांट्स का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस दिये गये है। अपीलांट संख्या 01 का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना भी अभिलेख से साबित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/12/25

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर